न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 9/2018 (उदयपुर डिक्री)

1. बाबूलाल पिता स्वर्गीय जलसिंह जी गुजर, निवासी स्टेशन चौराहा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. कन्हैयालाल पिता स्वर्गीय जलसिंह जी गुजर, निवासी स्टेशन चौराहा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती जशोदा बेवा स्वर्गीय जलसिंह जी गुजर, निवासी स्टेशन चौराहा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. भंवरसिंह उर्फ भंवरलाल पिता स्वर्गीय भैरूसिंह जी गुजर, निवासी लदानी, तहसील मावली, जिला उदयपुर, हाल निवासी 27, वर्मा कॉलोनी, सेक्टर नंबर 9, सवीना, उदयपुर (राज.)
2. भमरू पिता भगवान जी जाट, निवासी लदानी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. छोगालाल पिता नवला जी जाट, निवासी बड़गांव, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0 –1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, मावली
दिनांक 24.11.2017, प्र. सं. 49/17

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– सुश्री प्रमोदनी बक्षी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री पन्नालाल मारू अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1
3– श्री गजेन्द्र नाहर अभिभाषक रेस्पो0 सं0 2, 3
4– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रे. 4

———::———

निर्णय दिनांक 06–11–2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी/अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लदाना में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित आराजी नंबर 250 से 255 व 1525 किता 7 रकबा 35 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम अंकित है। उक्त आराजियात के साबिक आराजी नंबर वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार कुल किता 2 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा था, जिसमें जोरावरसिंह पिता बलवन्तसिंह का 1/2 हिस्सा एवं भंवरसिंह पिता भेरूसिंह का 1/2 हिस्सा अंकित था। जोरावरसिंह की मृत्यु 1964 में होने पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 33 उनके पुत्र जलसिंह व सोहनसिंह के नाम स्वीकृति हुआ एवं उक्त नामान्तरकरण के विशेष विवरण में उक्त साबिक आराजी नंबर में जलसिंह, सोहनसिंह पिता जोरावरसिंह 1/2 व भंवरसिंह पिता भैरूसिंह (वादी) 1/2 हिस्सा अंकित किया गया, परन्तु इसके बाद सेटलमेन्ट में बने हाल नंबरों में वादी एवं सोहनलाल का नाम हटाकर अकेले जलसिंह का नाम ही अंकित किया गया, जिसका अधिकार सेटलमेन्ट कर्मचारियों को नहीं है। गत सेटलमेन्ट के आराजी नंबर 92 व 93 के हाल आराजी नंबर वाद पत्र की कलम संख्या 5 अनुसार कुल किता 9 रकबा 23 बीघा 16 बिस्वा बने, जिसमें से आराजी नंबर 1563/250 बिलानाम सरकार अंकित है, शेष भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के अंकित हैं। अतएवं वाद पत्र की कलम संख्या 5 में वर्णित कुल किता 5 रकबा 23 बीघा 16 बिस्वा का जरिये कमिश्नर विभाजन कराया जाकर वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 5 में वर्णित कौन सा नंबर किस आराजी से बना है, इसे वादी साबित कराये। वादी ने मिथ्या एवं मनगढ़न्त वाद पेश किया है। प्रतिवादीगण का विवादित आराजियात में 50 वर्षो से कब्जा होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। वादी का वादग्रस्त भूमियों में किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं है। अतएवं वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार 11 तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वाद की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजियात जलसिंह, सोहनसिंह पिता जोरावरसिंह के नाम अंकित थी ? ..... वादी
2. आया जोरावरसिंह की मृत्यु सन् 1964 में हुई व विरासत से भूमि जलसिंह, सोहनसिंह के नाम अंकित हुई ? ..... वादी
3. आया गत आराजी नंबर 92, 93 का 1/2 हिस्सा जलसिंह, सोहनसिंह व 1/2 हिस्सा भंवरसिंह पिता भैरूसिंह के नाम जरिये नामान्तरकरण स्वीकार किया गया ? ..... वादी
4. आया संवत् 2031 से 2034 की जमाबन्दी में बिना कारण से वादी एवं सोहनसिंह का नाम हटा दिया गया ? ..... वादी
5. आया गत सेटलमेन्ट के दौरान वादी का नाम कपट पूर्वक हटा दिया गया, जबकि वाद की कलम संख्या 5 में अंकित आराजियात का वादी 1/2 हिस्से का खातेदार होने से अपने नाम घोषित कराने का अधिकारी है ? ..... वादी
6. आया वाद की कलम संख्या 5 का जरिये कमिश्नर विभाजन करवा वादी अपने 1/2 हिस्से का स्वतंत्र आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकारी है ? ..... वादी
7. आया प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी पैदा करते हैं जिससे वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ? ..... वादी
8. आया प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 50 सालों से कब्जा होने से एडवर्स पजेशन के आधार पर मालिक हो गये हैं ? ..... प्रतिवादी
9. आया वादग्रस्त जायदाद बलवन्तसिंह की होने व भेरूसिंह बलवन्तसिंह की दूसरी पत्नी की संतान होकर बाखड़ा साथ आने से गोद चले जाने से वादी का कोई अधिकारी नहीं है ? ..... प्रतिवादी
10. आया दफा 80 जा.दी. का राज्य सरकार को नोटिस नहीं देने से वाद बंटवारा नहीं चल सकता है ? ..... प्रतिवादी
11. अनुतोष ?

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने मूल वाद के प्रकरण संख्या 107/2002 में उभयपक्षों को सुनने के बाद साक्ष्य सबूत के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 28–04–2006 से वादी का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त प्रकरण संख्या 107/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28–04–2006 से रूष्ट होकर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा इस न्यायालय में अपील संख्या 112/2006 को प्रस्तुत की गयी, जिस पर इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24–07–2008 से अपील स्वीकार प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधिनस्थ न्यायालय में प्रेषित किया कि साबिक आराजी नंबर 92 व 93 से बने हाल आराजी नंबरों पर उभयपक्षों को पुनः सुनकर निर्णय पारित करें।

इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24–07–2008 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में एक अपील वादी भंवरसिंह द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी तथा दूसरी अपील प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा वादी भंवरसिंह के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी, जो माननीय राजस्व मण्डल में क्रमशः प्रकरण 10425/2008 व 10588/2008 के रूप में दर्ज की जाकर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17–01–2017 से वादी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 10425/2008 आंशिक रूप से स्वीकार की गयी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 10588/2008 खारिज कर दी गयी तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वे केवल मात्र साबिक आराजी नंबर 92 व 93 के सेटलमेन्ट के दौरान कौन–कौन से नवीन खसरा नंबर कायम किये गये, इसका मिलान क्षेत्रफल के आधार पर रकबे का तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर पुनः निर्णय पारित करें।

माननीय राजस्व मण्डल के प्रेषण आदेशों के क्रम में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः प्रकरण संख्या 49/2017 दर्ज किया जाकर साक्ष्य सबूत के आधार पर उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 24–11–2017 से वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर आराजी नंबर 251 से 255 किता 5 रकबा 14 बीघा 19 बिस्वा में वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित कर बंटवारे की प्रारम्भिक डिक्री जारी की।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–11–2017 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 15–01–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर वकील श्री पन्नालाल मारू उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से वकील श्री गजेन्द्र नाहर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने मुख्य उजर यह लिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिये गये प्रेक्षण आदेशों की पालना नहीं की गयी है तथा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का विवेचन नहीं किया गया है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 भंवरसिंह बलवन्तसिंह जी की दूसरी पत्नी के साथ बाकड़ा आया, जिसे स्वयं भंवरसिंह ने स्वयं अपने मौखिक बयानों में स्वीकार किया है। इस बिन्दु पर तनकी संख्या 9 बनी, जिसको अधिनस्थ न्यायालय ने समझे बिना निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने 10 वाद बिन्दु बनाये लेकिन सभी वाद बिन्दुओं का दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित नहीं किया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष की बहस एवं अपीलान्ट द्वारा लिये गये विभिन्न उजरात पर मनन किया तो यह पाया कि प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख रूप से अधिनस्थ न्यायालय में उनके द्वारा पेश शुदा लिखित बहस, जिसमें उसके द्वारा पुनः भूमियों की नपती की जाकर निर्णय किये जाने का अनुरोध किया गया है, परन्तु उस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है। प्रकरण में सर्वोत्तम महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय में निम्नानुसार निर्देश पारित किये गये :–

''प्रकरण विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मावली को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे केवल मात्र साबिक आराजी नंबर 92 व 93 के सेटलमेन्ट के दौरान कौन–कौन से नवीन खसरा नंबर कायम किये गये, इसका मिलान क्षेत्रफल के आधार पर रकबे का तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर पुनः नये खसरा नम्बरान बाबत् विधि सम्मत निर्णय पारित करें।''

उपरोक्त निर्देशों की पालना में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सिर्फ यह तथ्य विचारणीय था कि मिलान खसरा अनुसार साबिक आराजी नंब र 92 व 93 के नये नंबर कौन–कौन से कायम हुए, तद्नुसार वादी/रेस्पोन्डेन्ट इन आराजियात के 1/2 हिस्से का खातेदार था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इसके अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु पर जो कि अपीलान्ट द्वारा उठाये गये हैं, उन पर विचार करने की कोई उपादेयता नहीं थी। अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त समस्त तथ्यों का विवेचन करते हुए यह सुव्यक्त रूप से वर्णित किया है कि संवत् 2024 से 2027 प्रदर्श 4 अनुसार साबिक आराजी नंबर 92 व 93 किता 2 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा से प्रदर्श 6 व 7 के आधार पर हाल आराजी नंबर 251 से 255 रकबा 14 बीघा 19 बिस्वा बने हैं। तद्नुसार वादी/रेस्पोन्डेन्ट को उक्त भूमियों में 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया है, जिसमें प्रथम दृष्टया हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं, क्योंकि माननीय राजस्व मण्डल के प्रतिप्रेक्षण आदेशों के क्रम में ही निर्णय पारित किया गया है। अब अपीलान्ट का यह कथन कि भूमियों की पुनः नपती करवायी जाकर निर्णय पारित किया जावे, मान्य नहीं है, न ही इसका कोई आधार है। अपीलान्ट/प्रतिवादीगण का विवादित भूमियों में 1/2 हिस्से से ज्यादा हक नहीं है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल के प्रेक्षण आदेशों के क्रम में जो निर्णय पारित किया गया है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–11–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06–11–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

बाबूलाल पिता स्व. जलसिंह जी गुजर निवासी स्टेशन चौराहा, मावली, तह0 मावली जिला उदयपुर बनाम **भंवरसिंह उर्फ भंवरलाल पिता स्व. भैरूसिंहजी गुजर, निवासी लदानी हाल निवासी 27, वर्मा कॉलोनी, सेक्टर नं.9, सवीना, उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**09 / 2018**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**मावली**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....24**.....माह.....**11**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**06**.....माह.....**.11**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**सुश्री प्रमोदनी बक्षी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री पन्नालाल मारू**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–11–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**06**.....माह.....**.11**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।